छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च, 2015

क्रमांक/ 68 /एल–2014–71–00334/वि/नि/चार :: रिट याचिका क्रमांक W.A. 15907/2013 द्वारा श्री विष्णु कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर का निर्णय दिनांक 18.09.2013 का उद्धरण निम्नानुसार है :–

"Since the rules have already been made, it is only the administrative decision which is required to be taken for the purposes of extending the said benefit for the period w.e.f. 01.01.2006 to 31.08.2008 it would be appropriate for the respondents to decide such claim within a period of three months from the date of receipt of certified copy of the order pased today. Let the compliance be made strictly in accordance to the provisions of the rules and outcome be indicated to the petitioners. It is made clear that in case the petitioners are extended the benefit, they will be entitled to the monetary claims as well.

The writ petition is disposed of accordingly."

2/ उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. शासन द्वारा निर्णय लिया जाकर आदेश क्रमांक एफ 12–48/2013/नियम/चार, दिनांक 29.10.2013 (प्रति संलग्न) जारी किया गया है । म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के अन्तर्गत पेंशन का दायित्व म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जनसंख्या के अनुपात में वहन किया जाना है अतः म.प्र. शासन के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है –

3/ दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के लिये म.प्र.राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत् म.प्र.शासन की सहमति अनुसार वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 262/236/नि/ चार/2009, दिनांक 31/08/2009 के द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं । इन निर्देशों की कंडिका 3.1 में स्पष्ट किया गया है कि "दिनांक 31 अगस्त, 2008 की स्थिति में प्राप्त मूल पेंशन (कम्यूटेशन के पूर्व) अथवा परिवार पेंशन (महंगाई पेंशन एवं महंगाई राहत को छोड़कर) का 2.26 गुणा, पेंशन अथवा परिवार पेंशन की समेकित राशि (consolidated Amount) होगी इन निर्देशों की कंडिका 8 में यह प्रावधानित है कि कंडिका 3 के अन्तर्गत परिगणित समेकित पेंशन/परिवार पेंशन दिनांक 1.9.2008 से मूल पेंशन मानी जावेगी अतः इसका भुगतान सितम्बर, 2008 (माह सितबंर 2008 का भुगतान माह अक्टूबर, 2008) से देय होगा ।

4/ ऊपर वर्णित स्थिति के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण की देयता तिथि दिनांक 01.09.2008 ही रहती है एवं तद्नुसार ही राज्य के पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनरों को पेंशन पुनरीक्षण का लाभ वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 262/236/नि/चार/2009, दिनांक 31.08.2009 से स्वीकृत किया गया है ।

क्रमशः.....

5/ दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों के संबंध में राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त पैरा–2 एवं 3 में वर्णित तथ्यों पर आधारित समग्र विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जा चुका है कि ऐसे पेंशनर्स को पुनरीक्षित पेंशन का लाभ दिनांक 01.09.2008 से देय होगा अतः दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 31.08.2008 तक की अवधि के पेंशन पुनरीक्षण के एरियर्स के भुगतान की स्थिति ही निर्मित नहीं होती है ।

6/ ऊपर की गई विवेचना के आधार पर उपर्युक्त पैरा–1 में उल्लेखित मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 30. 08.2008 की अवधि के पेंशन पुनरीक्षण के एरियर्स के भुगतान की स्थिति निर्मित नहीं होती है । अतः कतिपय आवेदकों द्वारा की गई उक्त मांग आधार हीन होने से अमान्य की जाती है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

12/03/2015

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र./69/एल–2014–71–00334/वि/नि/चार, नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च, 2015

<u>प्रतिलिपि–</u>

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, बिलासपुर पिन कोड–495220 ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालय पेंशन संघ फ्लैट नं. 1/जी, नथानी अपार्टमेंट, न्यू शान्ति नगर, रायपुर को उनके ज्ञापन दिनांक 30.10.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

12/03/15

(ज्योति ठाकुर सोरी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग